

प्ररूप संख्या 131

[नियम 215(3) और (4) का संदर्भ लें]

स्रोत पर कर कटौती हेतु अधिनियम की धारा 395(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन किया गया	
पंक्ति संख्या	भाग क: कटौतीकर्ता का ब्यौरे		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		
8.	कर वर्ष की तिमाही		
कटौती प्राप्तकर्ता का ब्यौरे			
9.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
10.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
11.	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख					
भुगतान का सारांश					
क्रम संख्या	भुगतान का स्वरूप	भुगतान की गई/क्रेडिट की गई राशि		भुगतान/क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
कुल					
करदाता के संबंध में स्रोत पर काटे गए कर का सारांश					
तिमाही	धारा 397(3)(ख) के अधीन टीडीएस के मूल त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ	कर कटौती की राशि	वह दर जिस पर स्रोत पर कर काटा जाता है	जमा/समायोजित कर की राशि	
1. बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे (कर कटौतीकर्ता को कर कटौती प्राप्तकर्ता के संबंध में काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान-वार ब्यौरे प्रदान करना होगा)					
क्रम संख्या	जमा किया गया कर (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	बही पहचान संख्या (बीआईएन)			
		प्ररूप संख्या की रसीद संख्या।137	प्ररूप संख्या में डीडीओ क्रमांक सं. 137	स्थानांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	प्ररूप संख्या के साथ मिलान की प्राप्ति 137
कुल					

2. चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे (कर कटौतीकर्ता को कर कटौती प्राप्तकर्ता के संबंध में काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान-वार ब्यौरे प्रदान करना होगा)					
क्रम संख्या	कर जमा किया गया (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	चालान पहचान संख्या (CIN)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान क्रम संख्या	टिन 2.0 के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल					

घोषणा

मैं,, (नाम) कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति) जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत प्रमाणित करता है कि ₹ [₹..... (शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा-बही, दस्तावेजों, टीडीएस विवरणों, जमा किए गए टीडीएस और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान : कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
- पते में सम्मिलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
- सरकारी करदाताओं को भाग ख, मद 1 में जानकारी भरनी होगी यदि आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है और मद II में जानकारी भरी जाएगी यदि आयकर चालान के साथ कर का भुगतान किया जाता है।
- गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं को भाग ख, मद II में जानकारी भरी जाएगी।
- भाग ख में, मद I और II में, जमा किए गए कर, काटे गए कर की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के स्तंभ में जानकारी प्रदान की जाएगी।
- प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
- यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।